न्यायालय अंचल अधिकारी, काँके (राँची)

विविध वाद संख्या– 11/2022–23

महेश पहान ..... वादी

बनाम्

आरीफ अंसारी .....प्रतिवादी

विषयः– अवैध कब्जा के संबंध में। मौजा– हुजीर

आदेश

कार्रवाई के आदेश की तिथि	न्यायालय के आदेश एवं हस्ताक्षर	कार्यालय आदेश एवं दिनांक
05/08/2022	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, राँची के पत्रांक– 192(ii)/भू0सु0, दिनांक– 19.01.2022 द्वारा श्री चमरा लिण्डा, विधायक, बिशुनपुर विधानसभा (69) का मौजा– हुजीर, अंचल– काँके, थाना– पिठोरिया, खाता सं0– 72, प्लॉट सं0– 88, रकबा– 2 एकड़ में अवैध निर्मित गृह को खाली कराने के संबंध में पत्र प्राप्त है। उक्त के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा हुजीर थाना संख्या 44 के अन्तर्गत खाता संख्या 72 प्लॉट 88 संख्या रकबा 2 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में मकुन्द पाहन पिता बोधन पाहन के नाम से दर्ज है। राजस्व पंजी ।। के अनुसार :– राजस्व पंजी ।। के अनुसार आवेदित भूमि का जमाबंदी ऑनलाईन पंजी ।। के भाग संख्या 1 पृष्ट संख्या 72 पर मकुन्द पाहन के नाम से संधारित है, एवं वर्ष 2019–20 तक लगान रसीद निर्गत है। परन्तु प्रश्नगत भूमि पर खतियानी रैयत के वंशजों का दखल कब्जा नहीं है। जाँच प्रतिवेदन :– उभय पक्षों द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित प्रस्तुत कागजात का जाँच किया गया। जाँचोपरान्त पाया गया कि उपलब्ध कराये गये कागजात एस.ए.आर. वाद संख्या 18/1983–84 विमल पाहन वगैरह बनाम सुरज प्रसाद साहु वगैरह का नाम दर्ज है। जिसके आलोक में सूरज प्रसाद साहु के द्वारा निबंधित पट्टा संख्या 15124 दिनांक 11.09.2009 को पावर होल्डर श्री प्रेम प्रकाश सिंह के माध्यम से श्री राम विलास सिंह पिता– स्व० पलवधारी सिंह को बिक्री किया गया। पुनः श्री राम विलास सिंह पिता– स्व० पलवधारी सिंह, द्वारा दिनांक 11.02.2010 को श्री विशाल रंजन पिता श्री विरेन्द्र कुमार को निबंधित पट्टा संख्या 2323 के द्वारा बिक्री किया गया है। उक्त के आलोक इस कार्यालय के पत्रांक 142 दिनांक 23.02.2022 के द्वारा अभिलेखागार, राँची से सत्यापित कराया गया। प्रभारी पदाधिकारी, जिला अभिलेखागार, राँची के पत्रांक 69(।।) दिनांक 09.03.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि SAR वाद संख्या 18/83–84 में सहदेव उराँव, मादी उराँव बनाम बासु उराँव वगैरह पता– जगरनाथपुर राँची दर्ज है। जिससे यह प्रतीत होता है कि आरिफ अहमद अंसारी द्वारा प्रस्तुत कागजात जाली है। इस प्रकार फर्जी कागजात के आधार पर निबंधित पट्टा बनाया गया। फर्जीवाड़ा करते हुए द्वितीय पक्ष नें आदिवासी भूमि को हड़पने का प्रयास किया है एवं आदिवासी को भूमि से बेदखल कर दिया गया है। प्रश्नगत मामला अवैध दखल कब्जा से संबंधित है। दखल देहानी हेतु आवेदक SAR कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आदिवासी के भूमि पर गैर आदिवासी द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। यह दखल दिहानी का मामला है। दखल दिहानी हेतु आवेदक विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची में वाद दायर कर सकते हैं। उक्त आदेश की प्रति विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची को उपलब्ध करायें। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अंचल अधिकारी, काँके, राँची।	

Digitally signed by DIWAKARPRASAD CHANDRIKAPRASAD DWIVEDI
Date: 2023.04.25 16:48:14 +05:30
Location: 192.168.29.226

CamScanner